संख्या-6/1461 ई-2/तेरह-2014-31/2003

प्रेषक,

सुनील कुमार पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
रामपुर।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 14 अगस्त,2014

विषयः- होटल सोब्ती कान्टीनेन्टल प्रा0लि0, प्लाट सं0-180ए, ग्राम डिबडिबा, काशीपुर'-रूद्रपुर मार्ग, तहसील बिलासपुर, जनपद रामपुर को एफ0एल0-6(समिश्र) बार अनुज्ञापन की स्वीक़ति के सम्बन्ध में।

---

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को सम्बोधित एवं शासन को पृष्ठांकित आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल के पत्र संख्या- 510/42-03(2011-12), दि0 17 जनवरी,2013 तथा अपने पत्र संख्या-319/एफ0एल0-6/बार अनुज्ञापन/रामपुर, दि0 04-7-2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दि0 17 जनवरी,2013 में प्राप्त प्रस्ताव एवं उसके अनुक्रम में आपके पत्र दिनांक 04-7-2014 के साथ प्राप्त आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिला बार समिति की बैठक दिनांक 03-7-2014 में जिला बार समिति द्वारा की गई संस्तुति तथा इसी संदर्भ में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-जी-59/दस-लाइसेंस-70/एफ0एल0-6-7/2011-12/बार अनु0/रामपुर, दिनांक 23-7-2014 में की गई संस्तुति तथा अन्य समस्त सुसंगत अभिलेखों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त होटल सोब्ती कान्टीनेन्टल प्रा0लि0, प्लाट सं0-180ए, ग्राम डिबडिबा, काशीपुर'-रूद्रपुर मार्ग, तहसील बिलासपुर, जनपद रामपुर में वर्ष 2014-15 के लिये एफ0एल0-6(समिश्र) बार अनुज्ञापन सृजित/व्यवस्थित किये जाने की स्वीकृति एतदद्वारा इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि आवेदक/बार लाइसेंस प्राप्तकर्ता को वर्ष 2014-15 के लिये निर्गत आबकारी नीति में बार अनुज्ञापन प्रदान किये जाने हेतु इंगित किये गये प्राविधान/नियम/शर्तें मान्य होंगी तथा उनके द्वारा तदनुसार लागू बार लाइसेंस फीस देय

http://shabadesh.up.nic.in

होगी। साथ ही बार अनुज्ञापन समिति की बैठक दि0 03-7-2014 के कार्यवृत्त में वर्णित प्रतिबंध कि "शपथकर्ता वित्तीय वर्ष 2009-10 की अवशेष कर देयता की धनराशि को शपथ पत्र के दिनांक से एक वर्ष के भीतर जमा कर देगा" का समयान्तर्गत अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

कृपया इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुनील कुमार पाण्डेय
अनु सचिव।

संख्या- 1461 (1) ई-2/तेरह-2014, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-जी-59/दस-लाइसेंस-70/एफ0एल0-6-7/2011-12/बार अनु0/रामपुर, दिनांक 23-7-2014 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
सुनील कुमार पाण्डेय
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in